प्रेषक,

उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक
भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई,
जिला टास्क फोर्स कार्यालय,
पौढी गढवाल

सेवा में,

कमा0डेन्ट
जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस्
श्रीनगर, गढ़वाल

दिनांकः 13 जुलाई 2018

पत्रांक : 48 / जि0टा0फो0–पोडी / / भू0हस्ता0 / 2018–19

विषय : जनपद पौडी गढवाल के तहसील श्रीनगर के श्रीकोट गंगनाली क्षेत्र में जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस हेतु भूमि हस्तान्तरण के लिये प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके पत्र सं0 सी0–डी0–ट0सी0 / एक–30 / हो0गा0 / 2018–19 / 32 दिनांक 25 जून 2018 के क्रम में जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस् कार्यालय हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण याचक विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में दिनांक 02 जुलाई, 2018 को किया गया जिसकी आख्या निम्नानुसार है।

कार्यालय जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्डस को भू–हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि मुख्य श्रीनगर–ऋषिकेश मोटर मार्ग के उत्तर दिशा में लगभग 300मी0 की दूरी पर अलकनन्दा नदी के किनारे स्थित भूमि है।. प्रस्तावित भूमि भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित अक्षांश एवं देशान्तर के मध्य स्थित हैः–

अक्षांश 30^{0} 13′ 20″67.65″ N एवं देशान्तर 78^{0} 48′ 43.10″

प्रस्तावित क्षेत्र के पूरब दिशा में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यालय व अन्य प्रयोजन हेतु अन्य निर्माण, पश्चिम दिशा में खाली समतल मैदान, उत्तर दिशा में निकट स्थित अलकनंदा नदी क्षेत्र तथा दक्षिण दिशा में सी0सी0मार्ग व आबादी क्षेत्र स्थित है। स्थल के पूर्वी दिशा में सरस्वती विद्याा मन्दिर इण्टर कॉलेज के भवन स्थित है।

राजस्व निरीक्षक द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम श्रीकोट गंगनाली के जमीदारी विवरण रहित खतौनी की श्रेणी 9(3) एवं (2) ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष व झाडियां हो, खाता सं0–5 खेत सं0 23 मध्ये 0.030, 24–0.035, 102–0.020, 103–0.024, 104–0.026, 105–0.023, 106–0.035, 116–0.016 एवं 117–0.019 कुल 0.238है0। खतौनी की श्रेणी 10(8) अन्य कारणों से अकृषक भूमि के खाता सं0 25 के खेत सं0 77 मध्ये 0.030है0, 78, 78–020, 79–030, 87–0.60, 88–0.075, 91–0.034, 92–0.088, 95–0.024, 96–0.019, 97–0.03, 98–0.019, 99–0.014, 100–0.20 कुल 0.409है0 वन पंचायत भूमि के खसरा सं 107 मध्ये 0.020है0, 109–0.025, 120–0.020, 121–0.033 व खाता सं0 26 के खसरा सं0 108–0..67 कुल 0.165है0 कुल 0.812 है0 का भू–हस्तान्तरण जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड को किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त क्षेत्र में से 0.306 क्षेत्र के हस्तान्तरण हेतु पूर्व में भूवैज्ञानीय आख्या प्रेषित की गयी थी । वर्तमान में 0.812है0 भू–हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है।

स्थल पर मिश्रित रिवर बोर्न अनकन्सोलिडेटेड/अनसोर्टेड मटीरियल की 05–10 मी0 गहरी तथा यदाकदा उससे भी अधिक गहरी परत विद्यमान है। स्थल लगभग वृक्षविहीन झाडियॉ व घासयुक्त क्षेत्र है। स्थल पर स्वस्थानें चट्टानों का पूर्ण अभाव है। स्थल के उत्तर में अलकनन्दा नदी उत्तरउत्तरपूरब–दक्षिणदक्षिणपश्चिम प्रवाहित होती है। नदी के दोनों तट , पूर्व बाढ व नदी जलस्तर के बढने से लो रिवर टैरेस के रूप में निर्मित है। वर्तमान में नदी द्वारा अपने सतत जल धारा प्रवाह से नदी तल को आंशिक गहरा कर दिया गया है। चूंकि अलकनन्दा नदी एक यंग मध्य हिमालयन रिवर है । अतः नदी के लेटरल कटिगं व डीपलिंग वर्तमान में भी निरन्तर जारी है तथा भविष्य में अति जलवृष्टि व बाढ/नदी जल स्तर बढने से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

उक्त सम्पूर्ण भूभाग मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के श्रीनगर घाटी में लगभग व अपेक्षाकृत लो व आंशिक समतल भूभाग के रूप में दृष्टिगोचर होती है जिसका ढाल अपेक्षाकृत न्यून है। अतः स्थल पर अपर कैचमेन्ट समें अतिवृष्टि की दशा में व नदी जल स्तर बढने से नदी के किनारों में जल फैलाव व प्रसार की स्थिति की सम्भावना से नकारा नही जा सकता है।

स्थल अलकनन्दा नदी बेसिन स्थित एक अपेक्षाकृत चौडी विस्तृत मध्य हिमालयी श्रीनगर घाटी के दायें/दक्षिणी तल में अवस्थित है।

स्थल की अधोभूमि व घाटी के दोनों फ्लैंक की चट्टानें भूगर्भीय साहित्य में जोनसार समूह की चान्दपुर फॉरमेशन में वर्गीकृत की गई है। चट्टानें मुख्यतः हरी भूरी, फ्लेकी, आंशिक से पूर्ण अपयक्षित, फिलिटिक प्रकृति की है। उक्त स्थल, भारतीय सीजमिक मानचित्र पर मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के सक्रिय भूकम्पीय जोन–IV में अवस्थित है। अतः अधिकांशतः लघु तथा यदाकदा मध्यम व अधिक तीव्रता के भूकम्पन्नों से स्थल प्रभावित हो सकता है।

विचारणीय बिन्दु :–

1. स्थल के भूगर्भीय निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मैदानी भूभाग को मात्र तथा मुख्यतः प्रशिक्षण/अभ्यास व क्रीडा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जायेगा अथवा विकसित किया जायेगा।
2. स्थल, नदी का वृहद बायां/दक्षिणी तट (वर्तमान में रगड़/बगड़ के रूप में जो कि कम ऊचाई व आंशिक से अल्प ढालयुक्त रिवर टैरेस के रूप में निर्मित हो रहा है।
3. विभाग को प्रशिक्षण / अभ्यास कार्य हेतु एक मैदान की अत्यन्त आवश्यकता है जिसे अति शीघ्र उपयोग में लाया जा सके अतः भविष्य में स्थल व समीपवर्ती भूभाग (रगड/बगड) के अधिकतम उपयोग हेतु निम्न सुझाव व शर्तो का पालन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
4. स्थल की अधोभूमि में जल सतह कम गहराई में हो सकती है। अतः भावी निर्माण हेतु वृहद नलकूप का ड्रिलिगं व एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज से अधोभूमि जल स्तर को पुनः गहरा किया जा सकता है। अतः नलकूप स्थापन्न से केन्द्र को शीघ्र व त्वरित निजी जल आपूर्ति की जा सकती है।

सुझाव/शर्ते :–

1. स्थल पर भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व भूवैज्ञानीय निरीक्षण किया जाना अनिवार्य होगा।

2. स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम–1980 तथा पर्यावरण संरक्षण व पारिस्थितिकी अधिनियम–1986 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वन व अन्य विभागों से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाय।
3. चूंकि स्थल को एक खुले प्रशिक्षण/अभ्यास/क्रीडा मैदान के रूप में विकसित किया जाना है। अतः वर्षाकाल व अतिवृष्टि की दशा में नदी जल धारा प्रवाह व विस्तार के थ्रस्ट/कटाव को रोकने हेतु एक मलबूत वृहद तटबन्ध जिसका आधार पर्याप्त गहराई में नदी बेस लेवल ऑब इरोजन में नीचे ही रखना आवश्यक होगा।
4. उक्त स्थल पर नदी जल प्रवाह/विस्तार थ्रस्ट को रोकने के साथ मजबूत तटबन्ध द्वारा अन्दरूनी भाग को (मैदान की दिशा में)सीढनुमा दर्शक दीर्घा के रूप में विकसित किया जा सकता है।
5. उक्त तटबन्ध के अन्दर व बाहरी दिशा में अधिक छायादार, गहरी जडों व तीव्र उगने वाले वृक्षों की प्रजाति का रोपण, भावी बाढ/जल फैलाव व थ्रस्ट को न्यून करने में सहायक होगा व साथ ही दर्शक दीर्घा हेतु प्राकृतिक छाया व अभ्यास/प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।
6. उक्त वृक्षारोपण, सुरक्षा तटबन्ध को मजबूती व दृढता प्रदान करने के साथ पर्यावरणसंरक्षण में सहायक होगा।
7. तटबन्ध की मजबूती व ऊँचाई का प्राविधान भविष्य में बजट उपलब्धता पर निर्भर हो सकता है। अतः प्रथम चरण में भूभाग को आंशिक ही विकसित किया जा सकता है।
8. तटबन्ध की ऊँचाई व आधार गहराई, नदी बाढ तल में अधिकतम् व समुचित सेफ्टी फेक्टर्स के समाकंलन के उपरान्त व बाढ नियंत्रण प्रकोष्ठ से नदी की अधिकतम बाढ सीमा/तल में सेफ्टी फेक्टर्स में समाकलंन कर निर्धारित करना लॉजिकल होगा।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आकडों , स्थलीय भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय सरंचना, स्थानीय नदी प्रवाह/जल स्तर एवं सेफ्टी फक्टर्स के समाकलन के उपरान्त उपरोक्त विचारणीय बिन्दु सुझाव एवं शर्तो के साथ दैवीय आपदा को छोडकर स्थल विभागीय अभ्यास/प्रशिक्षण/क्रीडा मैदान हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

पत्रांक : / जि0टा0फो0–पौडी/भू0हस्ता0/2018–19

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून
2. जिलाधिकारी पोडी गढवाल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवावही हेतू प्रेषित।

(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक